Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

UTTARAKHAND

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-cepwdua@gmail.com,

पत्रांक– 1065/10 अधिप्राप्ति/2026 दिनांक–16/09/2026

सेवा में,

उप सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– उत्तराखण्ड राज्य हेतु सिटी गैस वितरण (CGD) नीति के ड्राफ्ट के सम्बन्ध में विभागीय मन्तव्य/आख्या उपलबध कराने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– शासकीय पत्र संख्या–1663–|||.3.2026/ई0–77413 दिनांक–03.09.2026 ।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत प्रकरण में अपर सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनु–1 का पत्र दिनांक–25.08.2026 संलग्न सिटी गैस वितरण (CGD) नीति के ड्राफ्ट पर लो0नि0वि0, का मन्तव्य उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस पर विभागीय मन्तव्य निम्नानुसार हैः–

1–लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा रोड कटिंग नीति पूर्व से ही प्रस्तावित है, जिसका संज्ञान CGD में नहीं लिया गया है, जिससे दोनों नीति के विभिन्न बिन्दुओं पर विरोधाभाष हो रहा है। अतः प्रस्तावित रोड कटिंग नीति के ड्राफ्ट का संज्ञान लेकर CGD से नीति के ड्राफ्ट में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इस हेतु रोड कटिंग नीति का अंग्रेजी एवं हिन्दी में एक–एक प्रति संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2–CGD नीति के नियम 5.3 एवं 5.4 में विभिन्न अनुमति, अनुमोदन, निकासी, (Cleanance) के लिए एकल विन्डो निकासी तंत्र की व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है, जबकि रोड कटिंग नीति के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग, द्वारा निर्धारित पोर्टल पर आवेदन करने की प्रक्रिया प्रस्तावित की गयी है। इस प्रकार CGD के नियम 5.3 एवं 5.4 रोड कटिंग नीति के ड्राफ्ट के नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 के अनुसार नहीं है। अतः CGD में तद्नुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है।

3–CGD के क्लाज 5.4.1 के बिन्दु 4 पर आकस्मिकता की स्थिति में मरम्मत एवं अनुरक्षण के लिए स्वतः अनुमोदन माना गया है, जबकि ऐसी स्थिति में "रोड कटिंग से पूर्व रोड स्वामित्व विभाग एवं जिलाधिकारी को अवगत कराना आवश्यक होने एवं इस दौरान सडक पर यातायात संचालन एवं तत्कालिक मरम्मत तत्काल करने का दायित्व गैस सुविधा प्रदाता का होने तथा इस कार्य से क्षतिग्रस्त सडक को पूर्व स्थिति में लाने का आगणन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर आवश्यक धनराशि सडक स्वामित्व विभाग को उपलब्ध कराया जाने" से सम्बन्धित प्राविधान करना आवश्यक है।

कमशः पेज ::2:: पर

16/9/26

4–CGD नीति के ड्राफ्ट में पृष्ठ 24 से 26 तक आवेदन करने से एन0ओ0सी0 देने तक की प्रस्तावित की गयी टाइम लाईन, प्रस्तावित रोड कटिंग नीति के ड्राफ्ट में प्रस्तावित टाइम लाइन (नियम 10) के अनुसार नहीं है। अतः उसमें रोड कटिंग नीति के अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक है।

5–CGD के नीति में ड्राफ्ट में पृष्ठ 29 के बिन्दु संख्या–G पर शुल्क, चार्जेज एवं दरों के विषय में बिन्दु 2 एवं 3 पर प्राविधानित व्यवस्था रोड कटिंग नीति के नियम 7 के उपनियम 7 के अनुसार नहीं है। अतः उसे प्रस्तावित रोड कटिंग नीति के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। CGD के ड्राफ्ट पृष्ठ 29 एवं 30 पर दर्शित रेट 2024 के हैं। वर्तमान में इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1063/10 अधिप्राप्ति/2026 दिनांक–.16.09.2026 (प्रति संलग्न) रोड कटिंग की दरें पुनरीक्षित कर दी गयी है, तद्नुसार संशोधन हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 16.09.2026 की प्रतिलिपि संलग्न है।

यहां यह भी उल्लिखित है कि उक्त दरें मार्केट दरों में परिवर्तन होने पर एस0ओ0आर0 के अनुसार प्रति वर्ष परिवर्तित होनी सम्भावित होती है।

अतः उक्तानुसार CGD नीति में संशोधन करने के मन्तव्य के साथ आख्या प्रस्तुत की जा रही है।

संग्लन–उपरोक्तानुसार।

(इं0 राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Draft Road Cutting Policy

1.Purpose–

This policy aims to regulate and streamline the process of road cutting by various agencies, ensuring minimal disruption to traffic, safety, and maintenance of road infrastructure.

2. Definitions –

In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "*force majeure* event" means and is limited to-

(i) war or hostilities;

(ii) major riots or civil commotion;

(iii) earthquake, flood, tempest, lightening or other natural physical disasters; and

(iv) Restrictions imposed by the Central Government or State Governments;

(b) "Nodal officer" means the nodal officer of the concerned public entity as specified in rule 4 for carrying out the purposes of these rules on behalf of such public entity;

(c) "Portal" means the portal to be notified by the State Government containing the links to one or more digital portals of various public entities;

(d) "Public Entity" means any state government department including PWD, Irrigation, RWD, PMGSY, Urban Development and also the Local bodies, that has ownership control and management over such roads under which public or private utility is proposed to be laid by the facility provider.

(e) "Facility Provider" means any entity who is interested in establishment and maintenance of under ground public or private utility by cutting of existing roads.

3. Application –

(1) These rules shall apply to permissions for right of way for laying of public or private utilities.

(2) Any public entity shall exercise the powers under these rules upon an application made by any facility provider seeking right of way.

(3) All applications shall be made through the portal and all notifications, clarifications, permissions, objections or rejections under these rules, shall be made through correspondence, to the extent specified under these rule.

4. Public entity to appoint Nodal Officer –

Every Public entity shall designate a **Nodal Officer** for the purpose of these rules on behalf of such public entity;

For all Departments, concerned District Magistrate shall be the Nodal Officer and Superintending Engineer, PWD shall assist the District Magistrate.

5. Permission for right of way –

(1) **Nodal Officer** shall exercise the powers to decide whether to grant or reject permissions to facility providers.

(2) For the purposes of traffic management and law & order, Concerning District Magistrate or any officer nominated by District Magistrate shall approve schedule/ timeline to execute the work stretch wise as per actual site conditions.

(3) Permission for execution of work shall be granted only during the months of **January and December.**

(4) Under exceptional circumstances, District magistrate will have the power to grant permission in other months too.

(5) Apart from Centrally Sponsored Schemes (CSS) & Externally Aided Projects (EAP), if there is a scheme for such road cutting that affects more than 5 Km of road, then the permission shall be given by the Engineer-in-Chief (EnC) of PWD.

(6) On road stretches where a MUD (Multi- Utility Duct) is available, permission for road cutting for a standalone duct shall not be granted to any service provider.

If road cutting for a standalone duct is required under any special circumstances prior approval from the MSCC (Multi- Sectoral Coordination Committee) as provisioned in the MUD policy shall be mandatory.

6. Application by a facility provider —

(1) A facility provider seeking right of way in any public property for the purposes of establishment, operation or maintenance of any public utility, shall submit an application in such form and manner, as provided on the portal, by the concerned public entity which has ownership, control or management over such public property, along with supporting documents as specified under sub-rule (3), in such form and manner as may be specified by that public entity.

(2) Where a facility provider requires a survey to be undertaken to enable it to make the application under sub-rule (1)-

the facility provider shall submit an application in such form and manner as provided on the portal by the concerned public entity, for seeking permission to conduct such survey; and the public entity shall, within seven days of receipt of such application, grant permission for such survey and shall not charge any fee to the facility provider for grant of such permission.

(3) The information along with supporting documents to be provided by the facility provider, through the portal, in the application made under sub-rule (1) shall include-

(a) details of the public or private utility proposed to be laid;

(b) details of the mode of and the estimated duration for execution of the work;

(c) details of the estimated time of the day when the work is expected to be done, in case the facility provider expects the work to be done during specific time of the day;

(d) details of the inconvenience that is likely to be caused to the public and the specific measures proposed to be taken to mitigate such inconvenience;

(e) details of the specific measures proposed to be taken to ensure public safety during the execution of the work;

(f) names and contact details of the employees of the facility provider for the purposes of communication in regard to the application made; and

(g) details of any other matter relevant, in the opinion of the facility provider, connected with or related to the work proposed to be undertaken.

7. Grant of permission by Public Entity:-

(1) Upon examination of an application received under sub-rule (1) of rule 6, the Public Entity may-

(a) seek clarifications or further documents, as may be required, within a period of 30 days from the date of receipt of such application:

Provided that the Public Entity shall seek all such clarifications and additional documents, if any, in one consolidated requisition; and

(b) grant permission within a period of 67 days from the date of receiving the application or proceed in the manner specified in sub-rule (3) and sub-rule (4).

(2) The permission granted by the Public Entity shall-

(a) specify whether the permission is subject to the undertaking and bank guarantee for restoration of property under clause (a) of sub-rule (7) read with sub-rule (6), or compensation for any damage as specified in clause (b) of sub-rule (7); and

(b) specify other conditions including the time, and measures to mitigate public inconvenience or enhance public safety, the mode of execution of the right of way and the conditions relating to the needs of operation and maintenance of the utility so established:

Provided that the Public Entity shall give due consideration to the mode of execution as specified by the facility provider under clause (d) of sub-rule (3) of rule 6.

(3) Where the Public Entity has reasons to reject the application for right of way, it shall intimate, within a period of 45 days from the date of receipt of the application and the facility provider shall respond to such reasons of rejection, within a period of 15 days there from.

(4) The Public Entity shall, after due consideration of the response of the facility provider under sub-rule (3),decide to either accept or reject the application for right of way and shall inform its decision to the facility provider in writing within a period of 07 days:

Provided that any decision rejecting the permission for right of way shall record the reasons for rejection, in writing.

(5) If the public entity fails to either grant or reject permission within the timelines specified under this rule, the permission shall be deemed to have been granted.

(6) In cases of deemed permission issued under sub-rule (5), the public entity shall, within a period of 07 days, issue the terms and conditions of such deemed permission, which shall be based on the principles under sub-rule (2).

(7) In order to address any damage to the property as a result of the works relating to the right of way, the facility provider shall, at the option of the public entity -

(a) restore such property to the state as it existed prior to the execution of such activities; or

(b) pay compensation for such damage as per the estimate provided by the concerning Executive Engineer for the restoration of the public property.

(8) A Public Entity may seek restoration of the property by the facility provider under clause (a) of sub-rule (7) in cases where the grant of permission has been made subject to,-

(a) the provision of an undertaking as specified by the public entity.

(b) a bank guarantee for an amount, equal to the sum required to restore the public property as per the latest schedule of rates (SOR) of Uttarakhand Public Works Department, as security for performance by the facility provider, within such time as may be specified in the permission. Concerning Public entity shall provide the estimate for the restoration of the public property as per the norms and specifications.

(9) The facility provider shall, upon completion of restoration of the property, submit a certificate of such completion. The Public entity shall, after ensuring that the damaged public property has been fully restored to the original condition as per the norms and specifications, issue a completion certificate. There shall be a defect liability period of 2 years after the date of issue of completion certificate.

The public entity shall return to the facility provider the bank guarantee provided under clause (b) of sub-rule (8), within a period of 15 days from the date of expiry of defect liability period.

(10) If the public entity finds the restoration work is not proper as required, it may encash, in full or in part, the bank guarantee and restore the public property by itself.

(11) The timelines specified for the execution of works pursuant to any permission granted under this rule, shall stand extended by the duration of any *force majeure* event as may be notified by the public entity in this behalf.

8. Obligations of facility provider in undertaking work–

Where a facility provider has been granted right of way under these rules, such facility provider shall ensure the-

(a) payment of all amounts as specified under these rules, and adherence to the terms and conditions of the grant of permission from the public entity;

(b) implementation of measures to mitigate public inconvenience and ensure public safety; and

(c) maintenance of up-to-date digital information relating to all underground Public utilities established by such facility provider.

(d) registration in CBUD (call before you dig) App so as to intimate all stakeholders and facility providers in the area before starting any digging activity.

9.Powers of public entity with respect to ongoing work. –

(1) The public entity may, for the purpose of monitoring or inspecting the execution of work by the facility provider to ascertain compliances with the conditions of the grant of permission, authorise an officer of the public entity.

(2) The concerned public entity may, on the basis of such monitoring and inspection, and after providing reasonable notice to the facility provider of the same, impose such other reasonable, relevant and evidence-based conditions as it may think fit, to be recorded in writing.

(3) If the facility provider does not make payments required to be made pursuant to the terms and conditions for grant of permission, and within a period of fifteen days from the date of issuance of the notice for such termination, the public entity shall have the right to terminate the permission so granted.

(4) If the public entity comes to the conclusion that the facility provider has violated any of the conditions for grant of permission, other than as specified under sub-rule (3), it shall issue a notice to the facility provider, specifying the conditions alleged to have been violated and call upon the facility provider to show cause within a period of fifteen days, as to why action should not be taken under sub-rule (5).

(5) Upon due consideration of the response of the facility provider, if any, under sub-rule (4), the public entity concludes that there has been a violation of the condition for grant of permission of right of way, it may encash, in full or in part, the bank guarantee, if any, submitted by the facility provider pursuant to sub-rule(8) of rule 7, or withdraw the permission granted to the facility provider, or both, for reasons to be recorded in writing.

10. Timeline for laying of various utilities:

Timeline for laying of Sewer Line (100m length)

Sl. No.	Depth of Sewer Line	Estimated Time
1	Upto 1.5 m Depth	10 to 12 days
2	1.5 to 3.0 m Depth	12 to 15 days
3	3.0 to 4.5 m Depth	15 to 18 days
4	4.5 to 6.0 m Depth	18 to 20 days

Timeline for laying of Water Pipeline (100m length)

Sl. No.	Diameter of Pipeline	Estimated Time
1	Upto 100 mm Dia.	8 to 10 days
2	125 to 200 mm Dia.	12 to 15 days
3	225 to 350 mm Dia.	15 to 20 days
4	350 to 450 mm Dia	20 to 25 days

Timeline for laying of Optical Fibre Cable (100m length)

Sl. No.	Type of Work	Depth	Medium	Estimated Time
1	Open Trench	1.2 m	Manually with 25 labour	1 day
2	Underground Drilling	1.5 m	HDD Machine	6 Hours

Timeline for laying of Underground of HT & LT Electrical Network (1km length)

Sl. No.	Description	Estimated Time	Total Estimated Time
1	Pipe Laying	7 days	45 days
2	Cable Laying	8 days	
3	Panel, Cable Loop & Termination Work	15 days	
4	Laying Consumer Pipes with Cable	15 days	

Timeline for laying of Gas Pipeline (100m length)

Sl. No.	Diameter of Gas Pipeline	Estimated Time
1	8 inch or 12 inch Dia. ((By HDD method)	9 to 10 days

Note:- Timeline for laying of various utilities has been proposed in accordance with the proposals received from concerning stakeholder departments. Timeline for Uttrakhand power corporation Limited has been fixed after due consultation with their representative Chief Engineer. Time may vary as per actual site conditions and shall be approved by Public entity accordingly

उत्तराखण्ड रोड कटिंग नीति

नीति दस्तावेज का मसौदा 2025

रोड़ कटिंग की नीति

1. उद्देश्य –

इस नीति का उद्देश्य विभिन्न सुविधा प्रदाताओं द्वारा सड़क काटने की प्रक्रिया को विनियमित और सुव्यवस्थित करना है, जिससे यातायात, सुरक्षा और सड़क अवसंरचना के रखरखाव में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित हो।

2. परिभाषाएँ–

इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''अप्रत्याशित घटना'' का अर्थ और यह निम्नलिखित तक सीमित है–

(i)युद्ध या शत्रुता;

(ii) बड़े दंगे या नागरिक अशांति;

(iii) भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना या अन्य प्राकृतिक भौतिक आपदाएँ; और

(iv) केन्द्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध;

(ख) ''नोडल अधिकारी'' से तात्पर्य सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई का नोडल अधिकारी अभिप्रेत है, जो ऐसी सार्वजनिक इकाई की ओर से इन नियमों के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए है; जैसा कि नियम 4 में निर्दिष्ट है।

(ग) ''पोर्टल'' से तात्पर्य राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला पोर्टल अभिप्रेत है, जिसमें विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के एक या एक से अधिक डिजिटल पोर्टलों के लिंक शामिल होंगे;

(घ) ''सार्वजनिक इकाई'' से तात्पर्य किसी राज्य सरकार के विभाग से है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, आर0डब्ल्यू0डी0, पी0एम0जी0एस0वाई0, शहरी विकास और स्थानीय निकाय भी शामिल हैं, जिनके पास ऐसी सड़कों पर स्वामित्व नियंत्रण और प्रबन्धन है, जिनके अन्तर्गत सुविधा प्रदाता द्वारा सार्वजनिक या निजी उपयोगिता का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(ड.) ''सुविधा प्रदाता'' से तात्पर्य किसी ऐसी इकाई से है जो विद्यमान सड़कों को काटकर भूमिगत सार्वजनिक या निजी उपयोगिता की स्थापना और रखरखाव में रूचि रखती है।

3. आवेदन

(1) ये नियम सार्वजनिक या निजी उपयोगिताओं के बिछाने के लिए मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) की अनुमति पर लागू होंगे।

(2) कोई भी सार्वजनिक इकाई मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) की मांग करने वाले किसी सुविधा प्रदाता द्वारा किए गए आवेदन पर इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेगी।

(3) सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे और इन नियमों के तहत सभी अधिसूचनाएं स्पष्टीकरण, अनुमतियां, आपत्तिया या अस्वीकृतियां, इन नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमा तक पत्राचार के माध्यम से की जाएंगी।

4. सार्वजनिक इकाई द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा–

प्रत्येक सार्वजनिक इकाई इन नियमों के प्रयोजन के लिए अपनी ओर से एक नोडल अधिकारी नामित करेगी;

सभी विभागों के लिए सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट नोडल अधिकारी होंगे तथा लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता, जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करेंगे।

5. मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) की अनुमति–

(1) नोडल अधिकारी, सुविधा प्रदाताओं को अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेने की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) यातायात प्रबन्धन और कानून एवं व्यवस्था के प्रयोजनों के लिए, वास्तविक जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई भी अधिकारी, कार्यस्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार, कार्य को खण्डवार निष्पादित करने के लिए, अनुसूची/समयरेखा को मंजूरी देगा।

(3) कार्य निष्पादन की अनुमति केवल दिसम्बर तथा जनवरी माह के दौरान ही दी जाएगी।

(4) असाधारण परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट को अन्य महीनों में भी अनुमति देने का अधिकार होगा।

(5) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), बाह्म सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी)के अतिरिक्त, ऐसी रोड़ कटिंग की योजनायें जिनमें 05 किमी0 या उससे अधिक की सड़के प्रभावित होंगी, उनमें प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग की अनुमति अनिवार्य होगी।

(6) मार्ग के जिस प्रभाग में MUD (मल्टी–युटिलिटी डक्ट) उपलब्ध होगी, वहॉ किसी भी सेवा प्रदाता को स्टेण्डअलोन डक्ट हेतु रोड कटिंग की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।

यदि किसी विशेष परिस्थिति में स्टेण्डअलोन डक्ट हेतु रोड कटिंग आवश्यक हो तो इस हेतु MUD नीति में प्राविधानित MSCC (मल्टी–सेक्टरल क्वार्डिनेशन कमेटी) का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

6. सुविधा प्रदाता द्वारा आवेदन–

(1)कोई सुविधा प्रदाता जो किसी भी सार्वजनिक संपत्ति में किसी भी सार्वजनिक उपयोगिता की स्थापना, संचालन या रखरखाव के उद्देश्य से राइट ऑफ वे की मांग कर रहा है, वह सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई, जिसका ऐसी सार्वजनिक सम्पत्ति पर स्वामित्व, नियंत्रण या प्रबन्धन है, द्वारा पोर्टल पर दिए गए प्रपत्र और तरीके एवं उप नियम (3) के तहत निर्दिष्ट सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा, जैसा कि उस सार्वजनिक इकाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

(2) जहां सुविधा प्रदाता को उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने में सक्षम बनाने के लिए सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता होती है–

सुविधा प्रदाता, ऐसे सर्वेक्षण करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए, सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए प्रारूप और तरीके से आवेदन प्रस्तुत करेगा; और सार्वजनिक इकाई, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, ऐसे सर्वेक्षण के लिए अनुमति प्रदान करेगी और ऐसी अनुमति प्रदान करने के लिए सुविधा प्रदाता से कोई शुल्क नहीं लेगी।

(3) उप–नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन में, पोर्टल के माध्यम से सुविधा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना तथा सहायक दस्तावेज निम्नलिखित होंगे–

(क) बिछाई जाने वाली प्रस्तावित सार्वजनिक या निजी उपयोगिता कार्य का विवरण;

(ख) कार्य के निष्पादन की पद्धति और अनुमानित अवधि का विवरण;

(ग) यदि सुविधा प्रदाता को दिन के विशिष्ट समय के दौरान कार्य किए जाने की आवश्यकता है, तो दिन के अनुमानित समय का विवरण ।

(घ) जनता को होने वाली असुविधा का विवरण तथा ऐसी असुविधा को कम करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपाय।

(ङ.) कार्य के निष्पादन के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित विशिष्ट उपायों का विवरण;

(च) आवेदन के सम्बन्ध में, संचार के प्रयोजनों के लिए, सुविधा प्रदाता के कर्मचारियों के नाम और सम्पर्क विवरण, और

(छ) सुविधा प्रदाता की राय में, प्रस्तावित कार्य से सम्बन्धित या उससे सम्बन्धित किसी अन्य प्रासंगिक मामले का विवरण।

7. सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमति प्रदान करना :–

(1) नियम 6 के उपनियम (1) के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन की जांच करने पर, सार्वजनिक इकाई–

(क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकती है:
बशर्ते कि सार्वजनिक इकाई ऐसे सभी स्पष्टीकरण और अतिरिक्त दस्तावेज, यदि कोई हों, एक समेकित अनुरोध में मांगेगी; और

(ख) आवेदन प्राप्त होने की दिनांक से 67 दिनों की अवधि के भीतर अनुमति प्रदान करेगा या उप–नियम (3) और उप–नियम (4) में निर्दिष्ट तरीके से आगे बढ़ेगा।

(2) सार्वजनिक इकाई द्वारा दी गई अनुमति में–

(क) यह निर्दिष्ट करें कि क्या अनुमति उपनियम (6) के साथ पठित उपनियम (7) के खण्ड (क) के अधीन, सम्पत्ति की बहाली के लिए वचनबद्धता और बैंक गारंटी, या उपनियम (7) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट, किसी क्षति के लिए मुआवजे के अधीन है; और

(ख) समय व सार्वजनिक असुविधा को कम करने या सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय, मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) के निष्पादन का तरीका और इस प्रकार स्थापित उपयोगिता के संचालन और रखरखाव की आवश्यकताओं से सम्बन्धित शर्तों सहित अन्य शर्तें निर्दिष्ट करें :

नियम 6 के उपनियम (3) के खण्ड (घ) के अन्तर्गत सुविधा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन विधि पर, सार्वजनिक इकाई उचित विचार करेगी।

(3) जहां सार्वजनिक इकाई के पास मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) के लिए आवेदन को, अस्वीकार करने का कारण है, तो वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर, सूचित करेगी और सुविधा प्रदाता, अस्वीकृति के ऐसे कारणों का जवाब, उसके बाद से 15 दिनों की अवधि के भीतर देगा।

(4) सार्वजनिक इकाई उपनियम (3) के अधीन सुविधा प्रदाता के प्रत्युत्तर पर समुचित विचार करने के पश्चात मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेगी तथा 07 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में सुविधा प्रदाता को अपने निर्णय से अवगत कराएगी:

बशर्ते कि मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) की अनुमति को स्वीकार करने वाले किसी भी निर्णय में अस्वीकृति के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(5) यदि सार्वजनिक इकाई इस नियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर अनुमति देने या अस्वीकार करने में विफल रहती है, तो अनुमति प्रदान कर दी गई, मानी जाएगी।

(6) उप–नियम (5) के तहत जारी की गई, मान्य अनुमति के मामलों में, सार्वजनिक इकाई 07 दिनों की अवधि के भीतर ऐसी, मान्य अनुमति के नियम और शर्तें जारी करेगी, जो उप–नियम (2) के तहत सिद्धांतों पर आधारित होंगी।

(7) मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) से सम्बन्धित कार्यों के परिणामस्वरूप सम्पति को होने वाली, किसी भी क्षति को दूर करने के लिए, सुविधा प्रदाता, सार्वजनिक इकाई के विकल्प पर–

(क) ऐसी सम्पत्ति को पूर्व की स्थिति में लाना जैसा कि, वह ऐसी गतिविधियों के निष्पादन से पहले मौजूद थी, या

(ख) सार्वजनिक सम्पति की बहाली के लिए, सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रदान किए गए आगणन के अनुसार ऐसी क्षति के लिए मुआवजा देना।

(8) कोई सार्वजनिक इकाई उपनियम (7) के खण्ड (क) के अधीन सुविधा प्रदाता द्वारा सम्पति की बहाली की मांग कर सकती है, जहां अनुमति निम्नलिखित के अधीन दी गई है;

(क) सार्वजनिक इकाई द्वारा निर्दिष्ट वचन बद्धता का प्रावधान।

(ख) सुविधा प्रदाता द्वारा, अनुमति में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग की नवीनतम दर अनुसूची(एस0ओ0आर0) के अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति के पुनर्स्थापन हेतु आवश्यक राशि के बराबर राशि की बैंक गारंटी, कार्य निष्पादन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा करने का प्राविधान। सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई, मानदण्डों और विनिर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक सम्पत्ति के पुनर्स्थापन हेतु आगणन प्रस्तुत करेगी।

(9) सुविधा प्रदाता, सम्पत्ति के जीर्णोद्धार के पूरा होने पर, ऐसे कार्य–पूर्णता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। सार्वजनिक इकाई, यह सुनिश्चित करने के बाद कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति को मानदण्डों और विनिर्देशों के अनुसार मूल स्थिति में पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है, कार्य–पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करेगी। कार्य–पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि के बाद, दो वर्ष की दोष–दायित्व अवधि होगी। सार्वजनिक इकाई, दोष दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर, उप–नियम (8) के खण्ड (बी) के तहत, प्रदान की गई बैंक गारंटी सुविधा प्रदाता को वापस कर देगी।

(10) यदि सार्वजनिक इकाई को लगता है कि पुनर्स्थापना कार्य अपेक्षित रूप से उचित नहीं है, तो वह बैंक गारंटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से भुना सकती है और सार्वजनिक सम्पत्ति को स्वयं पुनर्स्थापित कर सकती है।

(11) इस नियम के तहत दी गई किसी अनुमति के अनुसरण में, कार्यों के निष्पादन के लिए निर्दिष्ट समय–सीमा, किसी भी अप्रत्याशित घटना की अवधि तक बढ़ा दी जाएगी, जैसा कि इस सम्बन्ध में सार्वजनिक इकाई द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

8. कार्य करने के दौरान सुविधा प्रदाता के दायित्व –

जहां किसी सुविधा प्रदाता को इन नियमों के तहत मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) प्रदान किया गया है, ऐसे सुविधा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि–

(क) इन नियमों के अन्तर्गत, निर्दिष्ट सभी राशियों का भुगतान एवं सार्वजनिक इकाई से अनुमति प्रदान करने की शर्तों और नियमों का पालन,

(ख) सार्वजनिक असुविधा को कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का कार्यान्वयन, और

(ग) ऐसे सुविधा प्रदाता द्वारा स्थापित सभी भूमिगत सार्वजनिक उपयोगिताओं से सम्बन्धित अद्यतन डिजिटल जानकारी का रखरखाव।

(घ) सीबीयूडी (कॉल बिफोर यू डिग) ऐप में पंजीकरण, ताकि किसी भी खुदाई गतिविधि को शुरू करने से पहले, क्षेत्र के सभी हितधारकों और सुविधा प्रदाताओं को सूचित किया जा सके।

9 चल रहे कार्य के सम्बन्ध में सार्वजनिक इकाई की शक्तियां–

(1) सार्वजनिक इकाई, अनुमति प्रदान करने की शर्तों के अनुपालन का पता लगाने के लिए सुविधा प्रदाता द्वारा कार्य के निष्पादन की निगरानी या निरीक्षण करने के प्रयोजन के लिए, सार्वजनिक इकाई के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) सम्बन्धित सार्वजनिक इकाई, ऐसी निगरानी और निरीक्षण के आधार पर, तथा सुविधा

प्रदाता को उचित नोटिस देने के पश्चात, ऐसी अन्य उचित, प्रासंगिक और साक्ष्य–आधारित शर्तें लगा सकेगी, जिन्हें वह उचित समझे, जिन्हें लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(3) यदि सुविधा प्रदाता, अनुमति प्रदान करने के लिए नियमों और शर्तों के अनुसार किए जाने वाले अपेक्षित भुगतान नहीं करता है, तो सार्वजनिक इकाई इसके लिए नोटिस जारी करेगी। नोटिस जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर, सार्वजनिक इकाई को इस प्रकार दी गई अनुमति को समाप्त करने का अधिकार होगा।

(4) यदि सार्वजनिक इकाई, इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि सुविधा प्रदाता ने उप–नियम (3) के तहत निर्दिष्ट शर्तों के अलावा अनुमति प्रदान करने के लिये किसी भी शर्त का उल्लंधन किया है, तो वह सुविधा प्रदाता को नोटिस जारी करेगी, जिसमें कथित रूप से उल्लंघन की गई शर्तों को निर्दिष्ट करना और सुविधा प्रदाता को पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कहना कि उप–नियम (5) के तहत कार्यवाही क्यों न की जाए।

(5) उप–नियम (4) के अधीन सुविधा प्रदाता, के प्रत्युत्तर पर समुचित विचार करने के पश्चात, यदि सार्वजनिक इकाई यह निष्कर्ष निकालती है कि मार्गाधिकार (राईट ऑफ वे) की अनुमति प्रदान करने की शर्त का उल्लघंन हुआ है, तो वह कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके नियम 7 के उप–नियम (8) के अनुसार सुविधा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी, यदि कोई हो, को पूर्णतः या

आंशिक रूप से भुना सकती है, या सुविधा प्रदाता को दी गई अनुमति वापस ले सकती है, या दोनों,

10. विभिन्न उपयोगिताओं के बिछाने की समय–सीमाः

सीवर लाईन बिछाने की समय–सीमा (100 मीटर लम्बाई)

क्र.स.	सीवर लाईन की गहराई	अनुमानित समय
1	1.5 मीटर गहराई तक	10 से 12 दिन
2	1.5 से 3.0 मीटर गहराई	12 से 15 दिन
3	3.0 से 4.5 मीटर गहराई	15 से 18 दिन
4	4.5 से 6.0 मीटर गहराई	18 से 20 दिन

जल पाईप लाईन बिछाने की समय–सीमा (100 मीटर लम्बाई)

क्र.स.	पाईप लाईन का व्यास	अनुमानित समय
1	100 मिमी व्यास तक	8 से 10 दिन
2	125 से 200 मिमी व्यास	12 से 15 दिन
3	225 से 350 मिमी व्यास	15 से 20 दिन
4	350 से 450 मिमी व्यास	20 से 25 दिन

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की समय–सीमा (100 मीटर लम्बाई)

क्र. स.	कार्य का प्रकार	गहराई	माध्यम	अनुमानित समय
1	ओपन ट्रेंच	1.2 मी	25 श्रमिक के साथ मैनुअल रूप से	1 दिन
2	भूमिगत ड्रिलिंग	1.5 मी	एच0डी0डी0 मशीन	6 घंटे

भूमिगत एच0टी0 और एल0टी0 इलैक्ट्रिक नेटवर्क बिछाने की समय सीमा (1 किमी0 लम्बाई)

क्र.स.	विवरण	अनुमानित समय	कुल अनुमानित समय
1	पाईप बिछाना	7 दिन	45 दिन
2	केबिल बिछाना	8 दिन	
3	पैनल, केबिल लूप और टर्मिनेशन कार्य	15 दिन	
4	केबिल सहित उपभोक्ता पाईप बिछाना	15 दिन	

गैस पाईप लाईन बिछाने की समय–सीमा (100 मीटर लंबाई)

क्र.स.	गैस पाईप लाईन का व्यास	अनुमानित समय
1	8 इंच और 12 इंच व्यास (एच0डी0डी0 विधि द्वारा)	9 से 10 दिन

नोट–विभिन्न उपयोगिताओं के बिछाने की समय–सीमा सम्बन्धित हित धारक विभागों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित की गयी है। उत्तराखण्ड कार्पोरेशन लिमिटेड की समय–सीमा उनके प्रतिनिधि, मुख्य अभियन्ता के साथ उचित परामर्श के बाद निर्धारित की गयी है। स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार समय–सीमा में बदलाव हो सकता है, जोकि तद्नुसार सार्वजनिक इकाई द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग,
'प्रकीर्ण वर्ग' देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांकः– 1063 / 10 अधिप्राप्ति उ0 / 2026 दिनांकः– 16.09.2026

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन मार्गों में दूर संचार / विद्युत विभाग / जल संस्थान / जल निगम एवं अन्य संस्थान / विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सडकों को काटने के फलस्वरूप कटिंग चार्जेज की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् शा० सं० 147(1) / 111(3) / 05–10 (सा०) / 02 दिनाक 20.06.2005 के द्वारा रोड कटिंग चार्जेज की दरें निर्धारित की गई थी तथा समय–समय पर रोड कटिंग चार्जेज विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के स्तर पर जारी करने के निर्देश दिये गये थे। पुनः कार्यालय ज्ञाप सं० 542 / 10 प्रकीर्ण–30 / 2011 दिनांक 1099 / 10 प्रकीर्ण–उत्तराखण्ड / 2016 दिनांक 22.09.2016 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 1051 / 10 अधिप्राप्ति / 2024 दिनांक 16.11.2024 तथा 337 / 10 अधिप्राप्ति / 2025 दिनांक 29.03.2026 के द्वारा समय–समय पर रोड कटिंग चार्जेज की दरें निर्धारित की गई थी। वर्तमान में बिटुमिन की दरों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण उपरोक्तानुसार जारी रोड कटिंग के चार्जेज की दरों को पुनरीक्षित किया जाता हैः–

1– लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन मार्गो पर दूरसंचार / विद्युत विभाग / जल निगम / जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा मार्गों को काटकर सीवर लाइन बिछाने / केबिल बिछाने / पाईप लाईन डालने एवं अन्य कार्य सम्पादित किये जाते हैं जिनके फलस्वरूप मार्गों की दशा खराब हो जाती है तथा यातायात में असुविधा के साथ–साथ दुर्घटना की सम्भावना भी बढ़ जाती है। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यातायात के निर्बाध संचालन एवं दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से भविष्य में लोक निर्माण विभाग की सडकों में किसी भी विभाग द्वारा सड़क काटकर सीवर लाईन डालने / केबिल बिछाने / पाईप लाईन डालने अथवा अन्य किसी भी कारण से सडक काटने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भले ही केबिल मार्ग के किनारे डाली जा रही हो। सम्बन्धित विभाग ले आउट प्लान पर लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड को अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजेगा एवं सम्बन्धित खण्ड द्वारा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिनों में एवं अन्य क्षत्रों में अधिकतम 01 माह में कटिंग चार्जेज का बिल दूरसंचार विभाग / जल निगम / जल संस्थान या अन्य सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जायेगा तथा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र एक सप्ताह के अन्दर उस पर अनुमति जारी कर दी जायेगी।

2– मैदानी क्षेत्रों में सडकों के ऐम्बेकमैन्ट के बाहर कच्चे अर्थात लेपित सतह के ऐज से 03 मीटर से अधिक दूरी पर ट्रेंच खोदकर यदि केबिल डाली जाती है और केबिल डालने के बाद ट्रेच भर दी जाती है तो रोड़ कटिंग चार्जेज में उल्लिखित कच्चे मार्ग हेतु इंगित कटिंग के अनुसार देय होंगे।

3– पर्वतीय मार्गो पर खड्ड साइड में रोड काटकर केबिल डालने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश रोडवे चौडाई में ही केबिल / पाईप आदि डालना आवश्यक हो तो हिल साईड के रोड साईड ड्रेन की तली के नीचे कम से कम 75 से.मी. खोदकर डाली जाय, जिस हेतु कटिंग चार्जेज नियमानुसार निर्धारित कच्ची या पक्की नाली के अनुसार देय होंगे।

4– दूरसंचार विभाग या अन्य विभाग द्वारा मात्र उतनी ही लम्बाई में ट्रैच खोदी जाय, जितनी लम्बाई केबिल के रोल की है और केबिल में ट्रैंच में डालकर व ट्रैच भरकर आगे ट्रैंच खोदने की कार्यवाही की जाय जिससे यातायात संचालन में असुविधा न हो। उचित होगा कि एक बार में अधिकतम 200 मी० लम्बाई में ट्रैंच खोदी जाय व केबिल डालकर व भरकर उसके आगे खुदाई की जाय, खुदाई के स्थान पर चेतावनी के होर्डिंग्स अनिवार्य रूप से लगाने का उत्तरदायित्व खुदाई करने वाले सम्बन्धित विभाग का होगा।

क्रमशः पेज 2 पर

5– गैस पाइप लाइन बिछाने वाली एजेंसी द्वारा एक दिन में मात्र उतनी ही लम्बाई में ट्रेंच खोदी जाय, जितनी लम्बाई में उसी दिन गैस पाइप लाइन बिछाकर पूर्ण किया जा सके। तभी आगे ट्रेंच खोदने की कार्यवाही की जाय जिससे यातायात संचालन में असुविधा न हो। उचित होगा कि एक बार में अधिकतम 200 मी० लम्बाई में ट्रेंच खोदी जाय व केबिल डालकर व भरकर उसके आगे खुदाई की जाय, खुदाई के स्थान पर चेतावनी के होर्डिंग्स एवं यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्राविधान अनिवार्य रूप से किये जाने का उत्तरदायित्व खुदाई करने वाले सम्बन्धित एजेंसी का होगा।

6–गैस पाइप लाईन आदि डालने हेतु ट्रेंचेज की खुदाई के दौरान खुदाई का मलवा (Excavated Material) सम्बंधित एजेन्सी अन्यत्र निस्तारित नहीं करेगा, अपितु ट्रैंचेज में खुदाई का मलवा (Excavated Material) की फिलिंग 15 से.मी. की लेयर में लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप Watering के साथ यांत्रिक अथवा मैनुअल (Manual) दुर्मुट द्वारा जहां जो प्रयोग (Applicable) हो, उचित ढंग से कुटाई का प्रमाण पत्र (DBD) आई आई टी रुडकी द्वारा स्वयं के व्यय पर कराते हुए लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

ट्रेंचेज के भरान के पश्चात् खोदी गई शेष मिट्टी रोड साईट ट्रेन में व मार्ग पर ढेर (Collected) रूप में न पड़ी रह जाय, अपितु स्थल पर आवश्यकतानुसार पटरी पर उचित रूप से फैला कर उसकी कुटाई सीवर लाईन डालने वाले विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कार्य समाप्ति के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के फील्ड कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाय तथा इसके उपरान्त ही सम्बन्धित विभाग द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि लौटाई जाय।

7– कटिंग चार्जेज में विश्लेषण हेतु सड़क मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का विवरण एवं मात्राएँ पृष्ठ संख्या–01 से 06 तक संलग्न है।

8– कॉजवे एवं पुल/पुलियों के स्लैब नहीं काटे जायेंगे अपितु इनके किनारे/साईड में पाईप डालकर किनारे से केबिल बिछाई जाय।

9– सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा लेआउट (Layout) प्लान अनुमति के लिये प्रस्तुत करते समय प्रार्थना पत्र में निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए अन्डरटेकिंग दी जाय।

(1) निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुचारू रूप से रखने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

(2) भूमि स्वामित्व (Title of Ownership of Land) लोक निर्माण विभाग का ही रहेगा।

(3) सम्बन्धित विभाग द्वारा किये गये कार्य पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

(4) लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौडीकरण या अन्य कोई कार्य किये जाने पर यदि केबिल/पाईप आदि की शिफ्टिंग की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित विभाग अपने व्यय पर अपने केबिल/पोल्स/पाईप लाईन आदि की शिफ्टिंग की कार्यवाही करेंगे।

(5) लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग पर कार्य सम्पादन के दौरान यदि केबिल अथवा पाईप लाईन इत्यादि की कोई क्षति पहुंचती है तो लोक निर्माण विभाग इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा तथा न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मुआवजा देय होगा।

10– यदि मार्ग पर डाइवर्जन की आवश्यकता पड़े तो वास्तविक व्यय के आधार पर आगणन में अलग प्राविधान किया जाय।

क्रमशः पेज 3 पर

11– यदि सडक में कहीं लीकेज होते हैं तो जल संस्थान/जल निगम विभाग द्वारा उसे तुरन्त ठीक किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग की पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु सडक काटने से पूर्व इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दिये जाने की अनिवार्यता होगी। मरम्मत हेतु सडक काटने के चार्जेज सम्बन्धित विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को देने होंगे। इस प्रकार Cutting चार्जेज का भुगतान एक माह के अन्दर लोक निर्माण विभाग को किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा भविष्य में प्रश्नगत प्रकरणों में बिना पूर्व भुगतान के Cutting की अनुमति नहीं होगी।

12– गैस पाइप लाइन को मार्ग की सतह से 02 मीटर से 03 मीटर गहराई पर बिछाई जायेगी।

13– IRC-98 Final Draft दिनांक 22.04.2011 के पैरा 3.3.3 की संस्तुतियों का पालन किया जाय।

be 3.3.3. "From the above considerations, broad recommendations about the depth of laying (denoting the bottom of the trench) of the various service lines along the road are given below-

(i) Trunk sewer line	-	more than 1.5
(ii) Water supply line		
Service line	-	0.6 to 1 m
Trunk line	-	0.6 to 1 m
(iii) Electric cable		
LT cable	-	0.6 to 1 m
HT cable	-	1.5 to 2 m
(iv) Telecommunication cable		
Directry laid	-	0.6 to 1 m
Laid in ducts	-	1 to 2 m
(v) Gas mains and lines		
Carrying combustile material	-	2 to 3 m
(vi) Distance between Electric cables & W/S lines	-	Vertical-1 m
HT/LT	-	Horizontal-1 m
(vii) Distance between Electric cables & OFC	-	Vertical -1 m Horizontal-1 m

क्रमशः पेज 4 पर

उपरोक्तानुसार वर्ष 2024 में जारी कटिंग चार्जेज के बाद लगातार सामग्री एवं श्रमिकों की दरों में वृद्धि के कारण उक्त दरे वर्तमान में व्यवहारिक नही रह गई है। रोड कटिंग के पश्चात् सड़कों को पूर्व स्थिति में लाने के उद्देश्य से वर्तमान शेड्यूल ऑफ रेट (S.O.R) के आधार पर रोड कटिंग चार्जेज निम्न प्रकार निर्धारित किये जाते है।

(A) सीवर लाईन बिछाने के कारण रोड कटिंग चार्जेजः–

1– बी.एम./एस.डी.बी.सी. की सतहः–

(i) 3.00 मी० गहरी एवं सिंगल लेन (3.75 मी०) मार्ग की चौड़ाई हेतु –	₹6027 प्रति रनिंग मी०।
(ii) 3.00 मी० से अधिक गहराई तथा मार्ग की लेपित चौडाई सिंगल लेन (375 मी०) –	₹8385 प्रति रनिंग मी०।
(iii) 3.00 मी० गहराई तथा मार्ग की लेपित चौडाई डबल लेन (7.00 मी०) –	₹8629 प्रति रनिंग मी०।
(iv) 3.00 मी० से अधिक गहराई तथा मार्ग की लेपित चौडाई डबल लेन–	₹11393 प्रति रनिंग मी०।

2– प्रीमिक्स कारपेट/लेपित सतहः–

(i) 3.00 मी० गहरी एवं सिंगल लेन (3.75 मी0) मार्ग की चौडाई हेतु	₹4362 प्रति रनिंग मी०।
(ii)3.00 मी० से अधिक गहराई तथा मार्ग की लेपित चौडाई सिंगल लेन (3.75 मी०) –	₹5726 प्रति रनिंग मी०।
(iii)3.00 मी० गहराई तथा मार्ग की लेपित चौडाई डबल लेन (7.00 मी०)	₹5834 प्रति रनिंग मी०।
(iv)3.00 मी० से अधिक गहराई तथा मार्ग की लेपित चौडाई डबल लेन–	₹7197 प्रति रनिग मी०।

3– डब्ल्यू. बी.एम. सतहः–

(i) 3.00 मी० गहराई तथा सिंगल/डबल लेन मार्ग की चौडाई हेतु –	₹2883 प्रति रनिंग मी०।
(ii) 3.00 मी० से अधिक गहराई तक तथा सिगल/डबल लेन मार्ग हेतु –	₹4355 प्रति रनिग मी०।

4– इन्टरलॉकिंग सतहः–

(i) 3.00 मी० गहराई तथा सिंगल/डबल लेन मार्ग की चौडाई तक	₹3747 प्रति रनिंग मी०।
(ii) 3.00 मी० से अधिक गहराई तक तथा सिंगलध्डबल लेन मार्ग हेतु –	₹5613 प्रति रनिंग मी०।

क्रमशः पेज 5 पर

5– सी.सी. मार्ग–

(i) 3.00 मी० गहराई तथा सिंगल / डबल लेन मार्ग की चौडाई तक — ₹6884 प्रति रनिंग मी०।

(ii) 3.00 मी० से अधिक गहराई तक तथा सिंगल/डबल लेन मार्ग हेतु — ₹8348 प्रति रनिग मी०।

6– कच्चा मार्गः– ₹ 729 प्रति रनिंग मी०।

7– खड़न्जाः–

(i) 3.00 मी० गहराई तथा सिंगल/डबल लेन मार्ग की चौड़ाई तक — ₹1561 प्रति रनिंग मी०

(ii) 3.00 मी० से अधिक गहराई तक तथा सिंगल/डबल लेन मार्ग हेतु – ₹2779 प्रति रनिंग मी०

(B) लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर जल संस्थान/जल निगम/विद्युत विभाग/दूर संचार विभाग एवं अन्य विभाग / एजेन्सी द्वारा केबिल लाईन / पाईप लाईन इत्यादि बिछाने हेतु रोड कटिंग चार्जेज की दरें:–

(i) बी. एम / एस. डी. बी. सी. गार्ग हेतु	₹ 6371 प्रति वर्ग मी०
(ii) प्रीमिक्स कारपेट /लेपित सतह मार्ग हेतु	₹ 4201 प्रति वर्ग मी०
(iii) डब्लू. बी. एम. सतह हेतु	₹ 3314 प्रति वर्ग मी०
(iv) कच्ची सतह/पटरी भरान हेतु (45×30 बउ.)	₹ 729 प्रति वर्ग मी०
(v) U Type drain (45 cm 30 cm.) को पुनः निर्माण हेतु	₹ 2975 प्रति रनिंग मी०
(vi) K-C- drain के पुनः निर्माण हेतु	₹ 1031 प्रति रनिंग मी०
(vii) क्षतिग्रस्त डिवाईडरस (60 cm चौडाई के पुनः निर्माण हेतु	₹ 2319 प्रति रनिंग मी०

(C) गैस पाइप लाईन बिछाने के कारण रोड कटिंग चार्जेजः–

(i) बी. एम / एस. डी. बी. सी. गार्ग हेतु	₹ 8742 प्रति वर्ग मी०
(ii) प्रीमिक्स कारपेट /लेपित सतह मार्ग हेतु	₹ 7179 प्रति वर्ग मी०
(iii) डब्लू. बी. एम. सतह हेतु	₹ 5245 प्रति वर्ग मी०
(iv) कच्ची सतह/पटरी भरान हेतु (45×30 बउ.)	₹ 773 प्रति वर्ग मी०
(v) U Type drain (45 cm 30 cm.) को पुनः निर्माण हेतु	₹ 3005 प्रति रनिंग मी०
(vi) K-C- drain के पुनः निर्माण हेतु	₹ 1052 प्रति रनिंग मी०
(vii) क्षतिग्रस्त डिवाईडरस (60 cm चौडाई के पुनः निर्माण हेतु	₹ 2319 प्रति रनिंग मी०

क्रमशः पेज 6 पर

नोटः– उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त पैचेज (Patches) में लीकेज को ठीक करने, कनेक्शन देने एवं गैस पाईप लाईन की मरम्मत हेतु सड़क खोदने के लिए उपरोक्त निर्धारित दरों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। यहां पर पैचेज (Patches) का आशय एक स्थान पर खोदने अथवा गैस पाईप लाईन विस्तार से लगातार खोदने पर क्षतिग्रस्त / प्रभावित भाग का क्षेत्रफल 5 वर्ग मी० से कम हो। उक्त दरें Excluding GST है। क्षतियों के लागत में नियमानुसार GST अलग से देय होगा। यदि कहीं पैचेज (Patches) में कार्य कराने हेतु खुदान करते समय मशीन द्वारा कार्य कराने के समय मार्ग की शेष सतह खराब होती है, तो उसका वास्तविक क्षति के आधार पर अतिरिक्त भुगतान देय होगा।

(इं० राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. आयुक्त पौडी / नैनीताल।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम, उत्तराखण्ड , देहरादून।
4 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मोहिनी रोड, देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो०नि०वि०, पौडी / देहरादून / अल्मोडा / हल्द्वानी।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
8 समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल निगम / जल संस्थान।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल निगम / जल संस्थान।
11. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शहरी गैस वितरण परियोजना, यू0पी0 एण्ड यू0के0 क्लस्टर, द्वितीय तल, महालक्ष्मी टावर्स, 112 सिविल लाईन बरेली।

6/8/26

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष